

६

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर-52/2024-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/2025

डा० शेफालिका, चिकित्सा पदाधिकारी, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा के प्रभार रहित अवधि दिनांक-18.08.2022 से 30.12.2022 तक को पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-52/2024-

232(2)

पटना, दिनांक

18/02/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसव विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/डा० शेफालिका, चिकित्सा पदाधिकारी, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा/प्रशाखा-3, 9, 18A को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।